[1][धारा 148क : कतिपय *मालों के लिए खोज और अनुसरण क्रियाविधि

(1) सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा,–

(क) माल;

(ख) व्यक्ति या व्यक्तियों का वर्ग, जो ऐसे माल को रखता है या उसमें व्यवहार करता है,

को, जिन्हें इस धारा के प्रावधान लागू होंगे, विनिर्दिष्ट कर सकेगी।

(2) सरकार, उपधारा (1) के खंड (क) में निर्दिष्ट माल के संबंध में, –

(क) ऐसे व्यक्तियों के माध्यम से, जो विहित किए जाएं, विशिष्ट पहचान चिह्नांकन चिपकाने में तथा इलेक्ट्रॉनिक भंडारण और उसमें अंतर्विष्ट सूचना तक पहुंच को समर्थ बनाने के लिए, किसी प्रणाली का उपबंध कर सकेगी;

(ख) ऐसे माल के लिए किसी विशिष्ट पहचान चिह्नांकन को विनिर्दिष्ट कर सकेगी, जिसके अंतर्गत उसमें अभिलिखित की जाने वाली जानकारी भी है।

(3) उपधारा (1) में निर्दिष्ट व्यक्ति, –

(क) उक्त माल या उसके पैकेजों पर ऐसी सूचना को अंतर्विष्ट करते हुए और ऐसी रीति में, कोई विशिष्ट पहचान चिह्नांकन चिपकाएगा;

(ख) ऐसे समय के भीतर, ऐसी जानकारी और ब्यौरे प्रस्तुत करेगा, ऐसे प्ररूप और रिति में, ऐसे अभिलेख या दस्तावेज रखेगा;

(ग) ऐसे माल, जिसके अंतर्गत पहचान, क्षमता, प्रचालन की अवधि और अन्य ब्यौरे या सूचना भी सम्मिलित हैं, के विनिर्माण के कारबार के स्थान में संस्थापित मशीनरी का ब्यौरे, ऐसे समय के भीतर और ऐसे प्ररूप तथा ऐसी रिति में प्रस्तुत करेगा;

(घ) उपधारा (2) में निर्दिष्ट प्रणाली के संबंध में, ऐसी रकम का संदाय करेगा,

जो विहित की जाए।]

---

1 वित्त अधिनियम, 2025 (2025 का क्रमांक 7) द्वारा धारा 148क अंतःस्थापित। प्रभावशील दिनांक अभी अधिसूचित नहीं किया गया है।

* वित्त अधिनियम, 2025 (2025 का क्रमांक 7) में ''मामलों'' लिखा है।